न्यायालयः—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0) समक्षः—दिलीप सिंह

आर.सी.एस.ए-300007 / 2016संस्थित दिनांक-25.02.2015फाई. क.234503001722015

- 1— मंगलसिंह उम्र–70 वर्ष, पिता गुव्हा जाति महार साकिन केण्डाटोला,
- 2— सुन्दरलाल उम्र–54 वर्ष, पिता गोविन्द जाति महार साकिन केण्डाटोला,
- 3— मालतीबाई उम्र-48 वर्ष, पिता गोविन्द जाति महार साकिन केण्डाटोला,
- 4— भूरीबाई उम्र—40 वर्ष) पिता गोविन्द जाति महार निवासी केण्डाटोला,
- 5— वारलीबाई उम्र-70 वर्ष, गोविन्द जाति महार निवासी केण्डाटोला,
- 6— अशोक कुमार उम्र–42 वर्ष, पिता डोमनसिंह जाति महार निवासी केण्डाटोला,
- 7- शिवकुमार उम्र-४० वर्ष, डोमनसिंह जाति महार निवासी केण्डाटोला,
- 8— लताबाई उम्र–35 वर्ष, पिता डोमनसिंह जाति महार निवासी केण्डाटोला,
- 9— जैवन्ताबाई उम्र—65 वर्ष, पति डोमनसिंह जाति महार निवासी केण्डाटोला, सभी तहसील बिरसा, जिला बालाघाट

....वादीगण।

-// <u>विरूद</u>//-

- 1— शोभाराम उम्र—50 वर्ष, पिता गोविन्द जाति महार साकिन केण्डाटोला तहसील बिरसा जिला बालाघाट।
- 2— सरिता उम्र—40 वर्ष, पिता घनश्याम जाति महार साकिन देवरीमेटा तहसील बिरसा जिला बालाघाट।
- 3— रेखा उम्र—38 वर्ष, पिता घनश्याम जाति महार निवासी देवरीमेटा तहसील बिरसा जिला बालाघाट।
- 4— मंजू उम्र—35 वर्ष पिता घनश्याम जाति महार निवासी देवरीमेटा तहसील बिरसा जिला बालाघाट।
- 5— यशोदा उम्र—55 वर्ष पति घनश्याम जाति महार निवासी देवरीमेटा तहसील बिरसा जिला बालाघाट
- 6— म.प्र. शासन तर्फे श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट

<u>....प्रतिवादीगण</u>।

-//<u>निर्णय</u>//-(<u>आज दिनांक-28/08/2017 को घोषित</u>)

- 1— वादीगण ने यह वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा की घोषणा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया है।
- 2— वादीगण का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी क. 2 लगा. 9 एवं प्रति.क.1 की खानदानी भूमि एवं वादी क.01 के पिता की वादपत्र के पैरा—4 में उल्लेखित भूमि मौजा कैण्डाटोला प.ह.नं. 44 पुराना रा.नि.मं. मोहगांव एवं वर्तमान रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट में स्थित थी। वादपत्र के पैरा—4 में उल्लेखित भूमि में से कुछ भूमि विक्रय होने के पश्चात् वादपत्र के पैरा—5 में

उल्लेखित सर्वे नंबरों की 10.87 एकड़ भूमि बची थी। उक्त भूमि विवादित भूमि है, जिसका उल्लेख वादपत्र के पैरा—5 में है। वादी क. 2 लगा. 8 के आजा एवं वादी क. 9 के ससुर वादी क.01 के पिता गुन्हा की उक्त भूमि स्वअर्जित भूमि थी। गुन्हा द्वारा अपने जीवनकाल में विवादित भूमि का उसके तीनों पुत्र गोविन्द, डोमनिसंह एवं मंगलिसंह को उनके अंश के मान से 1/3, 1/3, 1/3 के आधार पर रकबा 3.71, 3.71, 3.71 एकड़ भूमि बंटवारे में दी थी। गुन्हा के फौत होने के बाद वादी क. 2, 3, 4, 5 एवं प्रति.क. 1 विवादित भूमि की कास्त करने लगे थे तथा डोमनिसंह के फौत होने के पश्चात् वादी क. 6, 7, 8, 9 उनके पिता की भूमि पर कास्त करने लगे थे एवं आज भी वादीगण एवं प्रति.क. 1 संपूर्ण विवादित भूमि पर अपने—अपने हिस्से की भूमि पर कास्त करते हैं। गुन्हा द्वारा उसके जीवनकाल में उसकी पुत्री भागनबाई को कोई हिस्सा नहीं दिया था। गुन्हा अपने तीनों पुत्रों के साथ रहते हुए फौत हो गया था, किन्तु बंटवारा उपरान्त राजस्व अभिलेख दुरूस्त नहीं हुआ था। गुन्हा के फौत होने के बाद फौती दाखला में उसके तीनों पुत्रों का नाम दर्ज हुआ था।

्वादीगण ने उनके वादपत्र में बताया है कि प्रति.क.२, ३, ४ के पिता एवं प्रति.क. 5 के पति घनश्याम ने चोरी से राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपना नाम विवादित भूमि के राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवा लिया था, किन्तु घनश्याम का विवादित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेखों में घनश्याम के नाम दर्ज होने की जानकारी वादीगण को हुई थी तो वादीगण ने प्रति.क. 5 के पति घनश्याम से उसका नाम निरस्त कराने के संबंध में चर्चा की थी तो घनश्याम ने 100 / - रूपये के स्टाम्प पर खेच्छापूर्वक अपना नाम निरस्त कराने के लिए लिखापढी की थी कि उसका नाम विवादित भूमि पर शामिल न किया जावे। उक्त आधार पर संबंधित हल्का पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा संशोधन क. 22/285 दिनांकित-31.01.2013 के द्वारा राजस्व अभिलेख में संशोधन पंजी वादीगण के पक्ष में दुरूस्त की थी। इसके बाद प्रति.क. 02,03,04 द्वारा अपने पिता घनश्याम के जीवनकाल में तहसीलदार बिरसा के पास आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था कि उनके पिता घनश्याम को शराब पिलाकर उसकी ईच्छा के विरूद्ध विवादित भूमि के राजस्व अभिलेखों में फर्जी रूप से वादीगण ने अपना नाम दर्ज कराया है। इसलिए उनके पिता के नाम के साथ-साथ विवादित भूमि पर उनका नाम शामिल सरीक दर्ज किया जावे। जिस पर तहसीलदार बिरसा द्वारा राजस्व प्र.क. ९४ए👍 वर्ष २०१२–१३ दिनांकित–३०.०५.२०१३ के द्वारा अवैध रूप से प्रति.क. 2 से 6 के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित कर दिया था, जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा अनुविभागीय राजस्व बैहर के न्यायालय में अपील

प्रस्तुत की थी, जिसे अनुविभागीय अधिकारी बैहर ने निरस्त कर दी थी। वादीगण ने उनके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उनके पक्ष में डिकी दिये जाने का निवेदन किया है।

- 4— प्रकरण में प्रति.क.02 लगा. 04 की ओर से वादीगण के वादपत्र का जवाब नहीं दिया गया है। प्रति.क. 06 दिनांक 10.09.2015 को एवं प्रति.क.01 दिनांक—19.08.2016 को एकपक्षीय हो गए हैं। इस कारण उनकी ओर से वादीगण के वादपत्र का जवाब नहीं दिया है।
- 5— <u>वादीगण के बादपत्र के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित</u> <u>है:</u>—
- 1—क्या वादीगण एवं प्रति.क.01 वादपत्र के पैरा—5 में उल्लेखित विवादित भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं ?

2—क्या राजस्व न्यायालय तहसीलदार बिरसा का राजस्व प्रकरण क. -943—6 वर्ष 2012—2013 दिनांकित—30.05.2013 वादीगण पर अबंधनीय होकर शून्य है ?

3—क्या वादीगण विवादित भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

विचारणीय प्रश्न क.-1 एवं 2 का निराकरणः

- 6— साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इस कारण दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 7— वादी मंगलसिंह वा.सा.01 ने स्वयं के मुख्य परीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में बताया है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में 11.15 एकड़ थीं जिसमें से कुछ भूमि विक्रय हो जाने के बाद विवादित भूमि ख.नं.—13 रकबा 4.00 एकड़ ख. नं. 21/1 रकबा 5.49 ए., ख.नं. 27/10 रकबा 0.18, ख.नं. 27/46 रकबा 0.20हे. कुल रकबा 10. 87ए. मौजा केडाटोला प.ह.नं.—44, रा.नि.मं. एवं तहसील बिरसा जिला बालाघाट में स्थित है। वादी के पिता ने उनके जीवनकाल में 48 वर्ष पूर्व वादी एवं उसके भाई गोविंद, डोमनसिंह को 1/3 अंश के आधार पर क्रमशः 3.71ए., 3.71ए. भूमि बंटवारे में दी थी तब से वादी एवं उसके दोनो भाई बंटवारे में प्राप्त उनके हिस्सो की भूमि पर कास्त करते थे। बादी के पिता द्वारा उनकी पुत्री भागनबाई का हिस्सा नहीं दिया था। उसकी शादी हो गई थी और वह उसके ससुराल ग्राम देवरीमेटा चली गयी थी। विवादग्रस्त भूमि पर वादी क्र.—01 के पिता ने अपने पास कोई हिस्सा नहीं रखा था। विवादग्रस्त भूमि का विभाजन होने के बाद बंटवारे के अनुसार रिकार्ड दुरूस्त नहीं हो पाया था। वादी क्र.01 के पिता की मृत्यु के बाद

फौती दाखिला में वादी क.-1 एवं उसके मृतक दोनों भाईयों के नाम शामिल सरीक में दर्ज हुए थे। विवादग्रस्त भूमि पर प्रति.क02 लगायत 05 के पिता तथा भागनबाई के पुत्र घनश्याम ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपना नाम दर्ज करवा लिया था। वादग्रस्त भूमि पर घनश्याम का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। घनश्याम का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने की जानकारी होने पर वादी कं01 द्वारा प्रति.क05 के पति घनश्याम से उसका नाम वादग्रस्त भूमि से निरस्त करने के लिए कहा था तो घनश्याम ने 100 / - रूपये के स्टांप पर स्वेच्छयापूर्वक अपना नाम निरस्त करने के लिए लिखा-पढ़ी की थी। उक्त आधार पर हल्का पटवारी तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.01.2013 को संशोधन क. 22/285 के अनुसार राजस्व अभिलेखों की संशोधन पंजी वादीगण के पक्ष में दुरूस्त कर दी थी। इसके उपरांत प्रति.क.02 लगायत 04 द्वारा उनके पिता घनश्याम के जीवनकाल में आवेदन प्रस्तुत किया था कि उनके पिता को शराब पिलाकर वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में उनके पिता का नाम उनकी ईच्छा के विरूद्ध विलोपित कराने के लिए स्टांप पत्र फर्जी रूप से संपादित करवाया गया था। इस कारण प्रति.क.02 लगा. 04 के पिता घनश्याम के नाम के साथ उसके जीवनकाल में विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम के साथ शामिल सरीक रूप से नाम दर्ज किये जाने का कहा था। जिसके आधार पर तहसीलदार बिरसा द्वारा राजस्व प्रकरण क. 943-6-2012-13 में दिनांक 30.05. 2013 को वादीगण द्वारा की गयी विधिक आपत्ति को नहीं मानते हुए अवैध रूप से प्रति.क02 लगायत 05 के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित कर दिया था। उसके उपरांत वादीगण ने तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी बैहर के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। जिसे अनुविभागीय अधिकारी बैहर द्वारा मियाद से बाहर बताकर अपील निरस्त कर दी थी। वादीगण की इस साक्ष्य का समर्थन सुन्दरलाल वा.सा.६ ने उसके शपथपत्र की साक्ष्य में किया है।

8— अंतराम पटले वा.सा.2, श्यामिसंह वा.सा.3, कमल चौधरी वा.सा.4 ने उनके शपथपत्र की साक्ष्य में मंगलिसंह वा.सा.1 की साक्ष्य का समर्थन करते हुए बताया है कि भागनबाई की मृत्यु हो गई है। विवादित भूमि पर भागनबाई का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है एवं भागनबाई के पुत्र घनश्याम के वारसान प्रति.क.02 लगायत 05 का भी कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि के खसरा पांचसाला वर्ष 2012—13 की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी.01, प्र.पी.02, वादग्रस्त भूमि के वर्ष 1983 से 1987—88 तक के खसरा की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी.03, प्रति.क.02 लगायत 04 के पिता एवं प्रति.क.05 के पित घनश्याम द्वारा लिखे गए सहमित पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी.04, विवादित भूमि के

अधिकार अभिलेख वर्ष 1954—55 की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी.05, विवादित भूमि के खसरा वर्ष 1994—98 की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी.06, विवादित भूमि की संशोधन पंजी क 15/171 दिनांक 20.05.1989 की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी.07, वादग्रस्त भूमि का राजस्व प्र.क. 94ए/6 वर्ष 2012—13 तहसीलदार बिरसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2013 की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी.08 प्रस्तुत की है।

प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रदर्श पी-3 के खसरा पांचसाला प्रदर्श पी-5 के अधिकार अभिलेख प्रदर्श पी-6 के खसरा पांचसाला से यह दर्शित है कि विवादग्रस्त भूमि वादी क.01 एवं उसके मृतक भाई डोमनसिंह एवं गोविन्द की पैतृक भूमि है। वादी क.01 का मृतक भाई डोमनसिंह वादी क. 06,07,08 का पिता एवं प्रति.क.09 का पति था। वादी क.01 का मृतक भाई गोविन्द वादी क.02 लगायत 03 एवं प्रति.क.01 का पिता था एवं वादी क.05 का पति था। विवादग्रस्त भूमि पर प्रदर्श पी-9 की संशोधन पंजी के द्वारा वादी क.-1 की बहन भागनबाई के पुत्र घनश्याम ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपना नाम भी दर्ज करा लिया था। उक्त संशोधन पंजी में भागनबाई को फौत होना बताया था, परंतु वादपत्र के पैरा-3 के खानदानी सिजरा में भागनबाई का फौत होना नहीं लिखा है। वादी कृ.-1 की बहन भागनबाई ने उसके जीवनकाल में विवादग्रस्त भूमि पर अपना नाम दर्ज करने की कोई कार्यवाही नहीं की थी। वादी क.01 के भांजे घनश्याम ने प्रदर्श पी-3 के सहमतिपत्र के द्वारा विवादग्रस्त भूमि ख.नं.—13 रकबा 1.619 हे., ख.नं—21 / 1 रकबा 2.627 हे., खं.नं—27 / 10 रकबा 0. 062 हे., ख.नं—27 / 46 रकबा 0.081 हे. भूमि का वादी क.01, 02, 06, 07 एवं वादी क.01 के पुत्र चेतन वाहने के पक्ष में हक त्यागा था। उक्त सहमतिपत्र के आधार पर प्रदर्श पी-11 की संशोधन पंजी में प्रदर्श पी-4 के सहमतिपत्र में उल्लेखित विवादग्रस्त भूमि पर से घनश्याम का नाम पृथक किया गया था एवं विवादित भूमि पर वादी क.01 लगा. 09 के नाम दर्ज किये थे। प्रदर्श पी–11 की संशोधन पंजी में उल्लेखित भूमि का विवरण प्रदर्श पी-1 एवं प्रदर्श पी-2 के खसरा पांचसाला में है।

10— प्रकरण की विवादग्रस्त भूमि के संबंध में घनश्याम की वारसान पुत्री सिरता, रेखा, मंजू द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर कि उनके पिता से शराब के नशे में सहमतिपत्र लिखाया गया था। घनश्याम की वारसान ने सहमतिपत्र में उल्लेखित विवादग्रस्त भूमि पर उनके पिता के साथ अपना नाम शामिल करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन के आधार पर तहसीलदार बिरसा द्वारा राजस्व प्रकरण क.—94ए/6 वर्ष 2012—13 आदेश दिनांक—30.05.2013 के द्वारा घनश्याम के जीवनकाल में उसकी पुत्रियों का नाम

दर्ज करने का आदेश दिया था। उक्त आदेश प्रदर्श पी-8 है। उक्त आदेश के विरूद्ध वादीगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी बैहर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई थी, उक्त अपील अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय से अवधि बाह्य निरस्त हो गई थी। घनश्याम के वारसान ने उसके जीवनकाल में प्रदर्श पी-4 के सहमतिपत्र में उल्लेखित विवादग्रस्त भूमि अपने नाम पर दर्ज करा ली है एवं घनश्याम ने उसकी माँ के नाम पर भूमि होने से पूर्व अपने नाम पर प्रदर्श पी-4 के सहमतिपत्र में उल्लेखित भूमि राजस्व अधिकारियों से मिलकर करा ली थी, प्रदर्श पी-4 के सहमतिपत्र में उल्लेखित विवादग्रस्त भूमि अपने नाम पर उसकी माँ के नाम पर होने से पूर्व कराने का अधिकार घनश्याम को नहीं था एवं विवादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि थी। उस पर उनका भी हिस्सा था। इसके उपरान्त भी घनश्याम ने वादीगण की पैतृक भूमि अपने नाम पर दर्ज करा ली थी । जबकि घनश्याम को वादीगण के हिस्से की भूमि अपने नाम पर कराने का कोई अधिकार नहीं था। इस कारण तहसीलदार बिरसा का राजस्व प्रकरण क. −94ए ∕ 6 वर्ष 2012−13 आदेश दिनांक−30.05.2013 वादीगण पर अबंधनीय है एवं विवादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण विवादित भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं। प्रति.क.01 शोभाराम मृतक गोविंद का पुत्र है। प्रति. क.01 शोभाराम की ओर से कोई प्रतिदावा प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण प्रति. क.01 शोभाराम को विवादित भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी नहीं माना जाता है ।

विचारणीय प्रश्न क.-03 का निराकरण

11— प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी—11 की संशोधन पंजी से विवादित भूमि पर वादीगण के नाम स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज हुए हैं एवं घनश्याम ने प्रदर्श पी—4 का सहमतिपत्र देकर उक्त संशोधन पंजी के द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर अपना हक त्याग दिया है, इस कारण विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण के नाम पर स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज हुए थे। विवादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि हैं। वादग्रस्त भूमि पर घनश्याम के वारसान ने उसकी मृत्यु होने से पूर्व अपने नाम तहसीलदार विरसा के राजस्व प्रकरण क.—94ए/6 वर्ष 2012—13 आदेश दिनांक—30.05.2013 से दर्ज करा लिये थे। उक्त आदेश विचारणीय प्रश्न क.—1 व 2 में वादीगण पर अबंधनीय माना गया है, इस कारण प्रति.क.02 लगायत 5 को वादीगण की पैतृक वादग्रस्त भूमि पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। प्रति.क.02 लगायत 05 को वादीगण की वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से हस्तक्षेप करने से रोका जाना आवश्यक है।

- 12— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादीगण विवादित भूमि ख.नं—13 रकबा 4.00 एकड़, ख.नं—21/1 रकबा 6.49 एकड़, ख.नं—27/10 रकबा 0.18 एकड़, ख. नं—27/46 रकबा 0.20 एकड़ भूमि मौजा कैण्डाटोला प.ह.नं—44 रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट की भूमि के संबंध में प्रति.क.02 लगायत 05 के विरूद्ध अपना वाद प्रमाणित करने में सफल रहें हैं। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर निम्न आश्य की डिकी पारित की जाती है:—
- (1) यह घोषित किया जाता है कि वादीगण भूमि ख.नं—13 रकबा 4.00 एकड़, ख.नं—21/1 रकबा 6.49 एकड़, ख.नं—27/10 रकबा 0.18 एकड़, ख.नं—27/46 रकबा 0.20 एकड़ भूमि मौजा कैण्डाटोला प.ह.नं—44 रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित भूमि में से प्रति.क.01 के हिस्से की भूमि को छोड़कर शेष भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं।
- (2) यह प्रमाणित माना जाता है कि तहसील न्यायालय बिरसा का राजस्व प्रकरण क.—94ए / 6 वर्ष 2012—13 आदेश दिनांक—30.05.2013 वादीगण पर अबंधनीय है।
- (3) 🗸 प्रतिवादीगण, वादीगण एवं स्वयं का वाद व्यय वहन करेंगे।
- (4) अभिभाषक शुल्क नियामानुसार देय होगी।

तद्ानुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(दिलीप सिंह)
द्विवय0न्याया0 वर्ग—1, बैहर
तहसील बैहर जिला बालाघाट
तह

मेरे बोलने पर टंकित।

(दिलीप सिंह) द्वि0व्य0न्याया0 वर्ग–1,बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट